अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

06 17.01.2024	**न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रॉची** सी0 सी0 ए0 वाद सं0 128/2023 राज्य बनाम मुकेश कुजूर (वर्मा), पिता अशोक कुजूर, निवासी प्रेमनगर, थाना–कांके, जिला–रॉची (झारखण्ड) .... विपक्षी आदेश वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 1455/डी०सी०बी० दिनांक 06.11.2023 द्वारा कुख्यात एवं पेशेवर जमीन माफिया मुकेश कुजूर (वर्मा), पिता अशोक कुजूर, निवासी प्रेमनगर, थाना–कांके, जिला–रॉची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(1)(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:– 1. कांके थाना काण्ड संख्या–143/19 दि0 25.08.2019 धारा–354/504/506/34 भा०द०वि० 2. कांके थाना काण्ड संख्या–142/21 दि.–26.06.2021 धारा–147/148/149/447/324/307/506 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट 3. कांके थाना कांड सं–03/22, दिनांक–12.02.2022 धारा–324/307/385/504/120बी० भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट 4. कांके थाना सनहा संख्या–18/23 दिनांक–23.09.2023 5. कांके थाना सनहा संख्या–32/23 दिनांक–24.09.2023	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

6. कांके थाना सनहा संख्या–21/23 दिनांक–28.09.2023

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि पुलिस अधीक्षक मु० (प्रथम), राँची के कार्यालय का ज्ञापांक–2034/2023, दिनांक–04.11.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि मुकेश कुजूर (वर्मा), पिता अशोक कुजूर, निवासी प्रेमनगर, थाना–कांके, जिला–रॉची एक कुख्यात एवं पेशेवर जमीन माफिया हैं। ये वर्तमान में जेल से बाहर है। ये इनका मुख्य पेशा रंगदारी करना एवं जमीन को कब्जा कर विवाद उत्पन्न करना है। ये रंगदारी और मारपीट कर माहौल को अस्थिर करने में हमेशा आमदा रहते है जो समाज के लिए खतरनाक है। ये वर्तमान में न्यायालय से जमानत पर मुक्त है तथा गवाहों को अपने विरूद्ध गवाही देने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देते हैं। इनका वास्तविक अपराधिक इतिहास इनके अभिलेखित अपराधिक इतिहास से कहीं ज्यादा बड़ा एवं व्यापक है। इनकी अपराधिक गतिविधियों से आम जनता में आतंक एवं दहशत का महौल है। इन्हें अपराधिक घटनाओं में शामिल देखने के बावजूद भी संबंधित कांडों के पीड़ित, गवाह एवं अन्य लोग विषयांकित अपराधी को नामजद करते हुए प्राथमिकी अंकित कराने या उसके खिलाफ गवाही देने अथवा उसका नाम पुलिस को बताने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसकी अपराधिक गतिविधियों से आम जनता में भय, दहशत एवं आतंक व्याप्त हो जाता है जिससे लोक शांति एवं विधि–व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a) (b)(i)(ii) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी के अनुसार – विपक्षी के खिलाफ प्रतिवेदित उपरोक्त सभी वादों में विपक्षी एकमात्र अभियुक्त नहीं है एवं बाकी लोगों के साथ इनका नाम इनको झुठा फंसाने के लिए जोड़ा गया है। विपक्षी पेशे से एक व्यापारी है एवं जमीन की खरीद बिक्री का कारोबार करते है इसलिए आए दिन

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

इनके प्रतिद्वंदीयों द्वारा इनके विरुद्ध झुठा मुकदमा दायर किया जाता है ताकि वे इनके जमीन के कारोबार को रोक लगा सके एवं अड़चन पैदा कर सके। उपरोक्त लिखित सभी वादों में विपक्षी को न्यायालय से जमानत प्राप्त है तथा वे निर्दोष है। कुछ वादों का निपटारा भी हो चुका है तथा विपक्षी के खिलाफ लंबित अन्य सभी वादों में वे नियमित रूप से ट्रायल में भाग ले रहे है। विपक्षी शांति पूर्ण तरीके से रहते है एवं आगे भी रहने का वादा करते है। विपक्षी की किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना में संलिप्तता नहीं है। विपक्षी पूर्ण रूप से न्यायालय अथवा पुलिस को शांति बनाए रखने में सहयोग करेगे एवं ऐसी किसी भी घटना में संलिप्त नहीं होगे जिस से राज्य कि शांति में बाधा आए। विपक्षी एक व्यापारी है एवं व्यापार एवं अपने वृद्ध पिता के ईलाज हेतु उन्हे आए दिन बाहर भी जाना पड़ता है एवं वे प्रतिदिन थाने में हाजरी देने में असमर्थ है। विपक्षी का पूरा परिवार इनके ऊपर ही आश्रित है।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी एक असामाजिक तत्व एवं सक्रिय जमीन माफिया है। इनके आचरण से समाज में अशांति एवं आम जनता के बीच भय, आंतक एवं दहशत का माहौल बना हुआ है। जिस कारण से लोक शांति एवं विधि–व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। विपक्षी के द्वारा अपने बचाव मे दिये गये ब्यान तथ्यात्मक नही है। फलस्वरूप इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुंण रखने के निमित अपराधकर्मी मुकेश कुजूर (वर्मा), पिता अशोक कुजूर, निवासी प्रेमनगर, थाना–कांके, जिला–रॉची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी मुकेश कुजूर (वर्मा), पिता अशोक कुजूर, निवासी प्रेमनगर, थाना–कांके, जिला–रॉची को दिनांक 24.01.2024 से दिनांक 23.04.2024 तक की अवधि के लिए कॉके थाना, राँची में प्रत्येक एक पक्ष (पंद्रह दिन) मे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे थाना प्रभारी, कॉके थाना

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

4

के समक्ष रू० 10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 23.01.2024 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 24.01.2024 से दिनांक 23.04.2024 तक प्रत्येक एक पक्ष (पंद्रह दिन) कॉके थाना, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा– 7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी एक पक्ष (पंद्रह दिन) अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति मुकेश कुजूर (वर्मा), पिता अशोक कुजूर, निवासी प्रेमनगर, थाना–कांके, जिला–राँची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी
राँची

जिला दण्डाधिकारी
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2024.02.05 22:27:08 -08:00
Location: 192.168.1.4